तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना उनवानी रतनलाल वगै0 बनाम भूमिधारी मु.सं. 142/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीलमें जारी हुए
18-12-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 703, 704, 706, 993 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 923, 924 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 790 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 826, 827, 829 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना में स्व0 गोकुल दिनांक 06.08.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी थी। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः उक्त दिनांक 06.08.2013 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादीगण ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2013 द्वारा खरीद ली थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि– **<u>आदेश</u>** ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 703, 704, 706, 993 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 923, 924 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 790 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 826, 827, 829 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2013 के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2026.01.12 10:48:02 IST Reason: SelfAttested (राजवीर सिंह यादव) सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना सहायक कलक्टर (F.T.) नीमकाथाना (सीकर)	

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. रतनलाल पुत्र गोकुलराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादीगण–

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

–प्रतिवादी–

मुकदमा नम्बर– 142/2025
दावा बाबत घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 703, 704, 706, 993 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 923, 924 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 790 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 826, 827, 829 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2013 के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज................×........................मुबलिग...................×........................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह......................×.......................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......................×..............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 18 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (F.T.)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)
नीमकाथाना,सीकर,राज0

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:48:02 IST
Reason: SelfAttested